

नैगम कार्यालय/Corporate Office
सिंडिकेटबैंक भवन / SyndicateBank Building
दूसरा क्रॉस, गांधीनगर / 2nd Cross Gandhinagar
बेंगलूरु / BENGALURU - 560 009



निवेशक संपर्क केंद्र / Investor Relations Centre

संदर्भ सं/ Ref. No.854/2914/CO/BNG

दिनांक/Date: 19.02.2018

The Vice President – (Listing) BSE LIMITED Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, MUMBAI - 400 001	The Vice President (Listing) NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex Bandra (E), MUMBAI - 400 051
---	---

Dear Sir,

Sub: Extraordinary General Meeting- Capital Infusion by GOI.

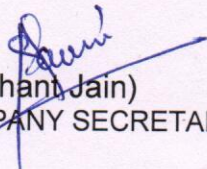
Please refer to our earlier letter no. 824/2914/CO/BNG dated 02.02.2018 intimating under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015.

We inform you that the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank is scheduled to be held on Friday, the 16th March 2018 at 10.00 AM at SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal- 576104 to obtain approval of Shareholders for the Capital Infusion of ₹ 2839 Crore by Government of India.

The Notice of the Extraordinary General Meeting is enclosed. Please take the same on records.

Thanking you,

Yours faithfully,


(Sushant Jain)
COMPANY SECRETARY



दूरभाष/Phone: (उ म प्र/DGM) 080- 2237 1631, (नि सं कें/INRC): 2228 3030 फैक्स/Fax : 080- 2228 3030

ई-मेल/E-Mail: inrc@syndicatebank.co.in / syndinvest@syndicatebank.co.in वेबसाइट/website: www.syndicatebank.in

**16 मार्च, 2018 को सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभा भवन
मणिपाल – 576 104 में संपन्न होनेवाली
बैंक के शेयरधारकों की
असाधारण आम बैठक की सूचना**

**NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS OF THE BANK SCHEDULED TO BE HELD
ON FRIDAY 16TH MARCH, 2018 AT SYNDICATEBANK
GOLDEN JUBILEE AUDITORIUM, MANIPAL – 576 104**



**प्रधान कार्यालय: मणिपाल
Head Office : Manipal**

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट:
मेसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर (प्रा) लिमिटेड
इकाई: सिंडिकेटबैंक
कार्वी सेलेनियम टावर बी
प्लॉट नं. 31 – 32, गच्छिबाउली
फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद – 500 032
फोन नं: 040 67162222 या 040 67161516 (डी)
फैक्स सं.: 040 23001153
टोल फ्री नं. 1800-345-4001

Registrars & Share Transfer Agents:
M/s Karvy Computershare (P) Ltd.
Unit: SyndicateBank
Karvy Selenium Tower B
Plot No. 31 – 32, Gachibowli
Financial District, Nanakramguda
Hyderabad – 500 032
Phone No.: 040 67162222 or 040 67161516 (D)
Fax No.: 040 23001153
Toll Free No. 1800-345-4001

कंपनी सचिव
निवेशक संपर्क केंद्र
सिंडिकेटबैंक – कॉरपोरेट कार्यालय
दूसरा क्रॉस, गाँधीनगर
बेंगलूरु – 560 009 (कर्नाटक)
दूरभाष 080 - 22283030, फैक्स 080 - 22283030
ई-मेल: inrc@syndicatebank.co.in (सामान्य)
निवेशक शिकायत : syndinvest@syndicatebank.co.in

The Company Secretary
Investor Relations Centre
SyndicateBank – Corporate Office
2nd Cross, Gandhinagar
Bengaluru – 560 009 (Karnataka)
Tel 080 - 22283030, Fax No. 080 - 22283030
E-Mail : inrc@syndicatebank.co.in (General)
Investor Grievances : syndinvest@syndicatebank.co.in

विषय सूची / Contents

सूचना	4
Notice	5
नोट	6
Notes	6
उपस्थिति पर्ची / प्रवेश पत्र	11
Attendance Slip / Entry Pass	12
प्रॉक्सी फार्म	13
Proxy Form	14



प्रधान कार्यालय : मणिपाल

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सिंडिकेटबैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक शुक्रवार, 16 मार्च 2018 को प्रातः 10.00 बजे सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभा भवन, मणिपाल – 576 104 में निम्नलिखित कारोबार का संव्यवहार करने के लिए होगी:

विचार करने के लिए तथा यदि सही पाया जाए तो, निम्नलिखित संकल्प(पों) को विशेष संकल्प(पों) के तौर पर कुछ आशोधनों के साथ / बिना पारित करने के लिए:

संकल्प किया जाता है कि, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 तथा सिंडिकेटबैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1998 के प्रावधानों के अनुसार और भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) और/या इस संबंध में अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन, सहमति, संस्वीकृति, यदि कोई हो, के अनुसार और ऐसे अनुमोदनों को देने में उनके द्वारा निर्धारित शर्तों, निबंधनों और आशोधनों का लगाया जाना और उससे बैंक के निदेशक मंडल का सहमत होना और सेबी (पूँजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) यथा संशोधित विनियम 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियम), और समय-समय पर जारी भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य सभी संबद्ध प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुसार तथा उन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीयन करार, जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के अनुसार, बैंक के शेयरधारकों की सहमति एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसमें इसके पश्चात् 'बोर्ड' कहा गया है, जिसका तात्पर्य ऐसी पूँजी निर्गम समिति से होगा जिसे बोर्ड द्वारा गठित की गई हो या बाद में गठित की जानेवाली हो, इस संकल्प द्वारा दिए गए अधिकारों सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा) को दी गयी है ताकि पूँजी जुटाने के लिए सेबी आई सी डी आर की विनियमावली के नियम 76(1) के अनुसार निर्गम मूल्य ₹75.51, जिसमें ₹65.51 का प्रीमियम शामिल है, नकद के लिए ₹10/- प्रत्येक की अंकित मूल्य वाले 37,59,76,691 (रुपये सैंतीस करोड़ उनसठ लाख छिहत्तर हजार छह सौ इक्यानवे मात्र) तक के ईक्विटी शेयरों के सृजन, ऑफर, निर्गम तथा आबंटन द्वारा अधिमान आधार पर भारत सरकार को कुल ₹2839.00 करोड़ की राशि (रुपये दो हजार आठ सौ उनतालीस करोड़ मात्र) प्रदान करने हेतु बोर्ड ने निर्णय लिया है।

“आगे संकल्प किया जाता है कि, निर्गम मूल्य के निर्धारण की संबंधित तिथि 14 फरवरी 2018 होगी।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि, मंडल या मंडल की समिति को यह प्राधिकार एवं शक्ति प्राप्त होगी कि इस प्रस्ताव में किए गए संशोधनों को या भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी/स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या अन्य ऐसा कोई उचित प्राधिकारी अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं स्वीकृति प्रदान करने/देने और निर्गम की मंजूरी, आबंटन और उन्हें सूचीबद्ध करने के बारे में बोर्ड की सहमति से उन्हें स्वीकार करने का अधिकार होगा।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि, इस संकल्प के अनुपालन में जारी किए जाने वाले और प्राथमिकता के आधार पर आबंटित किए जाने वाले नए ईक्विटी शेयर अमूर्त होंगे और यह सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के अध्याय VII में वर्णित लॉक इन अपेक्षाओं के अधीन होंगे और यह सभी मायनों में (घोषित लाभांश सहित, यदि कोई हो) ऐसी घोषणा के समय प्रवृत्त सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार जारी बैंक के वर्तमान ईक्विटी शेयरों के परिप्लु माने जाएंगे।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि, इस संकल्प को लागू करने के उद्देश्य से मंडल या मंडल की समिति को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वे ऐसे सभी काम, कृत्य, विषय और कार्य कर सकते हैं, जो अपने अनन्य विवेकाधिकार से करना आवश्यक, उचित और वांछनीय समझे और उक्त ईक्विटी शेयरों के निर्गम के संबंध में उठनेवाले किसी भी आपत्ति, कठिनाई या संदेह का समाधान कर सकते हैं और इसके साथ साथ ऐसे सभी काम, कृत्य, विषय और कार्य कर सकते हैं जो सभी प्रलेखों और लेखनों के निष्पादन करने के लिए आवश्यक, वांछनीय या उचित हों, जो आगे, शेयरधारकों की अनुमति या अनुमोदन के बिना अपने अनन्य विवेकाधिकार से करना उचित या वांछनीय समझते हों या इस प्रयोजन और उद्देश्य से प्राधिकृत किया जाता है कि शेयरधारक इस पर अपना अनुमोदन अभिव्यक्तरूप से इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा दिया गया समझेंगे।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि, बोर्ड या निदेशक मंडल को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वे उपर्युक्त संकल्प को लागू करने के लिए बैंक के प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशकों या बैंक के ऐसे अन्य कोई अधिकारी द्वारा प्रदत्त सभी या किन्हीं अधिकारों को प्रत्यायोजित कर सकते हैं।”

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

प्रम ओ रेगो
(मेलविन रेगो)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : बेंगलूरु

दिनांक : 19.02.2018



Head Office : Manipal

NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of SyndicateBank will be held on Friday, 16th March 2018, at 10.00 a.m. at SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal – 576 104 to transact the following business:

To consider and if thought fit, pass with or without modification the following Resolution(s) as Special Resolution(s):

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and SyndicateBank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) and Regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called “the Board” which shall be deemed to include Capital Issues Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to raise capital by creating, offering, issuing and allotting upto 37,59,76,691 (Thirty seven crore fifty nine lakh seventy six thousand six hundred and ninety one only) Equity Shares of face value of ₹10/- each for cash at an issue price of ₹75.51 including premium of ₹65.51 as determined by the Board in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations aggregating upto ₹2839.00 crore (Rupees Two thousand eight hundred and thirty nine crore only) on preferential basis to Government of India.

“RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Issue Price is 14th February, 2018.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board or Committee of the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India / Reserve Bank of India / Securities and Exchange Board of India / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the new Equity Shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of this Resolution shall be issued in dematerialized form and shall be subject to lock in requirements required under Chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations and shall rank *pari passu in all respects (including Dividend declared, if any)* with the existing Equity Shares of the Bank in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board or Committee of the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the Equity Shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board or Committee of the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director or Executive Director/s or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution.”

By order of the Board of Directors

(Melwyn Rego)

Managing Director and Chief Executive Officer

Place : Bengaluru

Date : 19.02.2018

नोट :

1. व्याख्यात्मक विवरणी:

बैठक के संव्यवहार के बारे में उल्लेख करते हुए महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्यात्मक विवरणी इसके साथ संलग्न की गई है।

2. प्रॉक्सी की नियुक्ति:

बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने के पात्र शेयरधारक सदस्य को अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने तथा मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है। इस प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना जरूरी नहीं है। प्रॉक्सी की सूचना प्रभावी होने हेतु असाधारण आम बैठक प्रारंभ होने से कम से कम **चार दिन** पहले अर्थात् दि. 09 मार्च, 2018, शुक्रवार को कार्य समय समाप्त होने के पहले प्रॉक्सी फार्म बैंक के प्र.का. मणिपाल में अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

कोई भी ऐसा व्यक्ति, किसी कंपनी अथवा किसी कॉर्पोरेट निकाय, जो कि शेयरधारक है, को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में उपस्थित होने अथवा मतदान करने का अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक कि वह विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने विषयक संकल्प, जिस बैठक में वह पारित किया गया था उसके अध्यक्ष द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित न हो, की प्रति सिंडिकेटबैंक, प्रधान कार्यालय, मणिपाल में असाधारण आम बैठक की तारीख से **चार दिन** पहले अर्थात् दि. 09 मार्च 2018, शुक्रवार को कार्य समय समाप्त होने के पहले प्रॉक्सी फार्म बैंक के प्र.का. मणिपाल में अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए।

4. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र:

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र इस नोटिस के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और उसे बैठक के स्थान पर सौंप दें। शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र पर “प्रॉक्सी” या “प्राधिकृत प्रतिनिधि” जैसी भी स्थिति हो का उल्लेख किया जाए।

इलेक्ट्रॉनिक साधनों से मतदान

कंपनी नियम, 2014 (प्रबंधन और प्रशासन) के साथ पढ़े गए सेबी (सूचीकरण के दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 44 के अनुसार बैंक के शेयरधारकों को असाधारण आम बैठक में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (रिमोट ई-वोटिंग) से मतदान करने की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य है।

Notes:

1. EXPLANATORY STATEMENTS

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The Proxy form, in order to be effective, must be received by the Bank at the Head Office of the Bank at Manipal not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting i.e., on or before the closing hours of Friday, the 09th March 2018.

3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be the true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank at Manipal not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting, i.e., on or before the closing hours of Friday, the 09th March 2018.

4. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-Cum-Entry Pass as “Proxy” or “Authorized Representative” as the case may be.

VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014, it is mandatory to extend to the shareholders of the Bank, the facility to vote at the Extraordinary General Meeting by electronic means (remote e-voting).

बैंक के शेयरधारक, बैठक की सूचना में निहित रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से व्यवसाय के मदों का कारबार कर सकते हैं।

बैंक ने कंपनी सचिव मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एण्ड कंपनी को एक संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है, जो रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप में संपन्न होने का पर्यवेक्षण करेंगे।

निर्दिष्ट तारीख

बैंक ने शेयरधारकों को ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार देने के निर्धारण के लिए, शुक्रवार 09 मार्च 2018 को निर्दिष्ट तिथि के रूप में निर्धारित किया है।

ई-मतदान के लिए अनुदेश

1. ई-मतदान के लिए निम्नांकित यू आर एल का प्रयोग करें:
कार्वी वेबसाइट से: <https://evoting.karvy.com>
2. निर्धारित दिनांक को भौतिक रूप में या डिमैट रूप में शेयर रखनेवाले कंपनी के शेयरधारक, अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर सकते हैं।
3. लॉगिन क्रेडेन्शियल्स की प्रविष्टि करें [अर्थात् असाधारण वार्षिक आम बैठक की सूचना में उल्लिखित यूजर आईडी और पासवर्ड]। आपकी फोलियो सं./डीपी आईडी/ग्राहक आईडी ही आपकी यूजर आईडी होगी।
4. ब्यूरों को समुचित रूप से प्रविष्टि करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करें।
5. पासवर्ड परिवर्तन मेनु में जाकर आपको अनिवार्य रूप से अपने पासवर्ड का परिवर्तन करना पड़ेगा। नया पासवर्ड न्यूनतम 8 कैरेक्टर का होगा जिसमें कम से कम एक अप्पर केस (A-Z), एक लोअर केस (a-z), एक संख्यात्मक (0-9) और एक विशेष कैरेक्टर होंगे। सिस्टम आपको प्रथम लॉगिन में अपने पासवर्ड को बदलने और मोबाइल, ई-मेल आदि संपर्क ब्यूरों को अद्यतन बनाने का सुझाव देगा। अपना पासवर्ड भूल जाने की स्थिति में आप अपनी पसंद का गुप्त सवाल और जवाब की प्रविष्टि कर अपने पासवर्ड का पता लगा सकते हैं। अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति को न दें और उसे गोपनीय रखने में अत्यधिक सावधानी बरतें।
6. आपको नए क्रेडेन्शियल के साथ फिर से लॉगिन करना पड़ेगा।
7. सफलतापूर्वक लॉगिन होने पर सिस्टम आपको ईवेंट अर्थात् सिंडिकेट बैंक का चयन करने का सुझाव देगा।
8. जिनके पास निर्दिष्ट दिनांक अर्थात् 09.03.2018 को शेयर हैं, वे संकल्प के पक्ष में या विरुद्ध अपना मतदान कर सकते हैं।
9. पुष्टि करने के लिए 'ओके' पर क्लिक करें अन्यथा आशोधित करने के लिए 'कैनसल' पर क्लिक करें। एक बार पुष्टि करने पर आपको अपने मत को आशोधित करने की अनुमति नहीं होगी। शेयरधारक मतदान की अवधि के दौरान मतदान पोर्टल में मतदान संपन्न होने तक कई बार लॉगिन कर सकते हैं।

Shareholders of the Bank can transact on the item of the business through remote e-voting system as contained in the Notice of the Meeting.

The Bank has appointed M/s S. N. ANANTHA-SUBRAMANIAN and Co., Company Secretaries, as Scrutinizer who will oversee the conduct of the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

CUT-OFF DATE

The Bank has fixed Friday, the 9th March 2018 as the Cut-off date for determining voting rights of shareholders entitled to participating in the e-voting process.

INSTRUCTION FOR E-VOTING

1. To use the following URL for e-voting:
From Karvy website: <https://evoting.karvy.com>
2. Shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Specified date, may cast their vote electronically.
3. Enter the login credentials [i.e., user id and password mentioned in the Attendance Slip of the EGM]. Your Folio No./DP ID & Client ID will be your user ID.
4. After entering the details appropriately, click on LOGIN.
5. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
6. You need to login again with the new credentials.
7. On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e., Syndicate Bank.
8. Those holding shares as on the Cut-off Date i.e. 09.03.2018, can cast their vote in favour of or against the resolution.
9. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted on the Election.

10. अनेक फोलियो/डीमेट खाते को रखने वाले शेयरधारक हर फोलियो/डीमेट खाते के लिए मतदान की प्रक्रिया का चयन अलग-अलग करें।
11. शेयरधारक द्वारा संकल्प पर एक बार मतदान किए जाने के बाद उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं होगी।
12. दि. 13.03.2018 के प्रातः 9 बजे से दि. 15.03.2018 के सायं 5 बजे तक मतदान के लिए पोर्टल खुला रहेगा।
13. किसी भी प्रकार की अन्य पूछताछ के लिए <https://evoting.karvy.com> के डाउनलोड भाग पर उपलब्ध शेयरधारकों द्वारा अक्सर पूछे गए प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ लें या दूरभाष सं. 1800 345 4001 (शुल्क रहित) पर कार्वी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क करें।

असाधारण आम बैठक के स्थान पर वोटिंग

ई-मतदान के अलावा, जिन्होंने ई-मतदान के विकल्प का प्रयोग नहीं किया है, उनके लिए भी मतदान होगा। इस संबंध में घोषणा करने के तुरंत पश्चात मतदान आरंभ किया जाएगा और वोटों की संख्या, उनके द्वारा अंतिम तारीख यानि 09.03.2018 तक धारित शेयरों की संख्या के बराबर होगी।

इसके पश्चात वोटों की गिनती होगी और रिमोट ई-वोटिंग और बैठक के दौरान आयोजित मतदान के माध्यम से प्राप्त कुल वोटों के आधार पर अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा।

उपर्युक्त परिणामों को बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा तथा स्टॉक एक्सचेंज यानि एनएसई एवं बीएसई को भी सूचित किया जाएगा।

आज की तिथि तक संशोधित सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अध्याय VII के अनुसार अपेक्षित व्याख्यात्मक विवरण और प्रकटीकरण

ए) अधिमान निर्गम के उद्देश्य

बैंक के प्रयासों को पूरा करने के लिए (ए) न्यूनतम सामान्य इक्विटी टियर I (सीईटी - I) के अनुसार नियामक पूंजी मानदंडों और पूंजी बफर की आवश्यकताओं को पूरा करने और (बी) कुल ऋण बढ़ाने के लिए पूंजी की वृद्धि को बढ़ाना, भारत सरकार ने बैंक की पूंजी को ₹2839 करोड़ की सीमा तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। पूंजी का अंतःप्रवाह अधिमानी आबंटन के आधार पर पूंजी को सृजित व जारी कर, किया जाएगा।

बढ़ी हुई पूंजी का उपयोग पूंजी की पर्याप्तता को सुधारने तथा बैंक की ऋण वृद्धि निधि के लिए किया जाएगा।

बी) निर्गम मूल्य / प्रासंगिक तिथि

निर्गम मूल्य का निर्धारण समय-समय पर संशोधित सेबी-आईसीडीआर अधिनियम, 2009 के अध्याय VII के अनुसार किया गया है।

10. Shareholders holding multiple folios/demat account shall choose the voting process separately for each folios / demat account.
11. Once the vote on the resolution is cast by the shareholder, he/she shall not be allowed to change it subsequently.
12. The Portal will be open for voting from: 9 a.m. on 13.03.2018 to 5 p.m. on 15.03.2018.
13. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for shareholders available at the download section of <https://evoting.karvy.com> or contact Karvy Computershare Pvt. Ltd. at Tel. No. 1800 345 4001 (toll free).

VOTING AT THE VENUE OF EGM

Apart from remote e-voting, the voting shall also be conducted for those who have not exercised their option of remote e-voting. The voting will commence immediately after an announcement in this regard is made and the number of votes will be equivalent to the number of shares held by them as on the Cut-Off Date i.e., 09.03.2018

The counting of votes would be taken up thereafter and the Results will be announced based on the aggregate of votes secured through remote e-voting and voting conducted at the meeting.

The aforesaid results will also be hosted on Bank's website and shall also be informed to the stock exchanges i.e. NSE & BSE.

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of Chapter VII of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 as amended up to date

a) Objects of the Preferential Issue

For supplementing the Bank's efforts in (a) meeting regulatory capital norms in terms of minimum Common Equity Tier I (CET-I) and Capital Buffer requirements and (b) augmenting growth capital for enhanced credit off-take, Government of India proposes to infuse capital to the extent of ₹2839 Crore to the Bank. The capital infusion will be by way of creation and issue of capital on preferential allotment basis.

The Capital raised would be utilized to improve the Capital Adequacy and to fund the credit growth of the Bank.

b) Issue Price/Relevant Date

The issue Price has been determined in accordance with Chapter VII of the SEBI-ICDR Regulations, 2009 as amended from time to time.

परिणामी ईक्विटी शेयरों के निर्गम मूल्य के निर्धारण के लिए 'प्रासंगिक तिथि' 14 फरवरी, 2018 है।

सी) निर्गम से पहले और बाद में शेयरधारण का ढाँचा (संभावित)

क्र. सं.	श्रेणी	निर्गम से पहले		निर्गम के बाद	
		धारित शेयरों की सं.	शेयर धारण का प्रतिशत	धारित शेयरों की सं.	शेयर धारण का प्रतिशत
ए.	प्रवर्तक धारण (भारत सरकार)	65,95,62,697	63.34	103,55,39,388	73.07
बी.	गैर-प्रवर्तक धारण	38,17,32,665	36.66	38,17,32,665	26.93
	कुल	104,12,95,362	100.00	141,72,72,053	100.00

डी) बैंक, सेबी आईसीडीआर नियमावली में बताए गई समय सीमा के अंदर यह निर्गम प्रक्रिया पूरा करने के लिए प्रयत्नशील है।

ई) चूँकि यह निर्गम भारत सरकार, बैंक के प्रमुख शेयरधारक एवं प्रवर्तक, को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है, इसके नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

एफ) निर्गम से पहले और बाद (संभावित) में भारत सरकार की शेयर धारिता निम्न प्रकार होगी:

	शेयरों की संख्या	पूँजी की प्रतिशतता (%)
निर्गम से पहले	65,95,62,697	63.34
निर्गम के बाद	103,55,39,388	73.07

जी) चूँकि इस वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी कुल शेयर 5% से अधिक है, बैंक ने भारत सरकार की तरफ से सेबी से अनुरोध किया है कि वे सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियम, 2011 की अनुप्रयोज्यता से बैंक को छूट प्रदान करें।

एच) बैंक के ईक्विटी शेयर छः महीने से ज्यादा समय से सूचीबद्ध हैं, अतः इन पर तदनुसार सेबी आईसीडीआर नियमावली के प्रावधान 76(3) और 78(5) लागू नहीं हैं।

आई) निर्गम मूल्य को यथा आशोधित सेबी (आईसीडीआर) के अध्याय VII में दिए गए अधिमानी निर्गम के लिए अब तक यथा संशोधित विनियम के अनुसार निर्धारित किया गया है।

जे) भारत सरकार को जारी किए गए और आबंटित शेयर ट्रेडिंग अनुमोदन की तिथि से तीन वर्षों तक लॉक इन अवस्था में रहेंगे।

के) सनदी लेखाकारों द्वारा यह प्रमाणित करते हुए प्रमाणपत्र जारी किया गया है कि इस नियमावली की अपेक्षाओं के अनुसार बनाए जा रहे निर्गम को असाधारण आम बैठक में रखा जाएगा।

The 'Relevant Date' for determining the issue price of the resultant equity shares is 14th February, 2018.

c) Shareholding Pattern before the issue and the Shareholding Pattern (likely) after the issue.

Sl. No.	Category	Before the Issue		After the Issue	
		No. of shares held	Percentage of share-holding	No. of shares held	Percentage of share-holding
A	Promoter's Holding (Government of India)	65,95,62,697	63.34	103,55,39,388	73.07
B	Non-Promoter Holding	38,17,32,665	36.66	38,17,32,665	26.93
		104,12,95,362	100.00	141,72,72,053	100.00

d) The Bank endeavours to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI ICDR Regulations.

e) As the issue is to be made to the Government of India, the major shareholder and Promoter of the Bank, there would not be any change in control.

f) The Pre and Post issue (likely) shareholding of Government of India would be as under:

	Number of Shares	Percentage to Capital (%)
Pre-issue	65,95,62,697	63.34
Post-issue	103,55,39,388	73.07

g) As the equity shares issued to GOI will be more than 5% in this Financial Year, the Bank is in the process of making an application on behalf of GOI with SEBI seeking their exemption from the applicability of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeover) Regulations, 2011.

h) The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76(3) and 78(5) of SEBI ICDR Regulations are not applicable

i) The Issue Price has been determined in accordance with the Regulations as applicable for Preferential Issues as contained in Chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations as amended till date.

j) The shares issued and allotted to Government of India shall be locked in for a period of three years from the date of trading approval.

k) The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting.

एल) केंद्र सरकार समग्र अधिमान्य - पूर्व धारण संबद्ध तिथि से छह महीनों की अवधि के लिए लॉक इन अवस्था में रहेंगे। यह अवधि विशेष संकल्प के तहत जारी शेयरों के लिए स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रदत्त व्यावसायिक अनुमोदन की तिथि से लागू होगी।

एम) भारत सरकार द्वारा धारित सभी शेयर अमूर्त रूप में हैं तथा सूचीबद्ध करार में बताए अनुरूप बैंक ईक्विटी शेयरों को लगातार सूचीबद्ध करने की शर्तों का अनुपालन उस शेयर बाजार के नियमों के अनुसार करता रहेगा, जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।

एन) संबद्ध तिथि से पहले के छह महीनों में भारत सरकार ने बैंक का कोई भी ईक्विटी शेयर नहीं बेचा है।

ओ) सेबी (सूचीकरण के दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, सेबी आईसीडीआर विनियम, 2009 के विनियम 72 की शर्तों के अनुसार, बैंक के सभी शेयरधारकों को शेयर ऑफर करने एवं अधिमान्यता के आधार पर शेयर आबंटन करने हेतु विशेष संकल्प के ज़रिए बैंक के शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया जाए।

पी) जहाँ कहीं भी अपेक्षित है, सेबी आईसीडीआर विनियमन के प्रावधानों के अनुसार बैंक, ईक्विटी शेयर का मूल्य पुनः परिकलित करेगा।

क्यू) बैंक यह घोषणा करता है कि यदि पुनः परिकलित मूल्य का भुगतान इन विनियमों में निर्धारित अवधि के भीतर अदा नहीं किया जाता है तो, निर्धारित प्रतिभूति तब तक लॉक-इन अवस्था में रहेगी जब तक कि आबंटिती द्वारा उस रकम की अदायगी नहीं की जाती।

आर) आपके निदेशक विशेष संकल्प को पारित करने की अनुशंसा करते हैं।

बैंक के किसी भी निदेशक का इस संकल्प से कोई संबंध नहीं है और न ही इस संकल्प में उनका कोई हित है।

l) The entire pre-preferential holding of Central Government will be locked for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of trading approval granted by Stock Exchanges to the shares issued pursuant to the Special Resolution.

m) All the shares held by Government of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.

n) Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the Relevant Date.

o) In terms of SEBI (LODR) Regulations and in terms of Regulation 72 of the SEBI ICDR Regulations 2009, approval of the shareholders of the Bank is required by way of a Special Resolution to issue and allot shares on preferential basis vis-à-vis offering shares to all the shareholders of the Bank.

p) The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI ICDR Regulations where it is required to do so.

q) The Bank undertakes that if the amount payable on account of re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked-in till the time such amount is paid by the allottee.

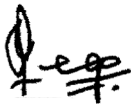
r) Your Directors recommend passing of the Special Resolution.

None of the Directors of the Bank are concerned or interested in the resolution.

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 19.02.2018

मेल्विन रेगो
(मेल्विन रेगो)
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Place : Bengaluru
Date : 19.02.2018


(Melwyn Rego)
Managing Director and
Chief Executive Officer



प्रधान कार्यालय : मणिपाल

उपस्थिति पर्ची

(बैठक के स्थान पर प्रवेश करते समय प्रस्तुत की जाए)

दिनांक : 16 मार्च, 2018

समय : प्रातः 10.00 बजे

स्थान : सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल

बैंक की असाधारण आम बैठक में मैं एतद्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूँ

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			
पंजीकृत फोलियो		डीपी आईडी	
		ग्राहक आईडी	
(यदि बेकागजीकृत नहीं हो)		(यदि बेकागजीकृत हो)	
शेयरधारक का नाम :			
शेयरों की संख्या :			



प्रधान कार्यालय : मणिपाल

प्रवेश पत्र

(बैठक के अंत तक रखा जाए)

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			
पंजीकृत फोलियो		डीपी आईडी	
		ग्राहक आईडी	
(यदि बेकागजीकृत नहीं हो)		(यदि बेकागजीकृत हो)	
शेयरधारक का नाम :			
शेयरों की संख्या :			

शेयरधारक/प्रॉक्सी या शेयरधारकों के प्रतिनिधि से अनुरोध किया जाता है कि वे बैठक के स्थान पर प्रवेश करते समय, उपर्युक्त उपस्थिति-पर्ची, जिस पर बैंक के पास पंजीकृत उनके नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप विधिवत् हस्ताक्षर किए गये हों, तथा प्रवेश-पत्र प्रस्तुत करें। आवश्यकता पड़ने पर, उपर्युक्त का सत्यापन/परीक्षण किया जाएगा। किन्हीं भी परिस्थितियों में बैठक के प्रवेश द्वार पर अनुलिपि उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी।



Head Office : Manipal

ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry to the Venue)

Date : 16th March, 2018

Time : 10.00 a.m.

Place : SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal

I hereby record my presence at the Extraordinary General Meeting of the Bank.

Signature of the Shareholder/Proxy/Representative present			
Regd. Folio		DP ID	
		Client ID	
(If not dematerialised)		(If dematerialised)	
Name of the Shareholder:			
Number of Shares:			



Head Office : Manipal

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

Signature of the Shareholder/Proxy/Representative present			
Regd. Folio		DP ID	
		Client ID	
(If not dematerialised)		(If dematerialised)	
Name of the Shareholder:			
Number of Shares:			

Shareholders / proxy or authorized representative of shareholders are requested to produce the above Attendance Slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, alongwith the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance Slip will be issued at the entrance to the meeting.



प्रधान कार्यालय : मणिपाल

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरे जाने एवं हस्ताक्षर करने के लिए)

पंजीकृत फोलियो
(यदि बेकागजीकृत नहीं है)
डी पी आई डी व ग्राहक आई डी
(यदि बेकागजीकृत है)

मैं/हम _____ निवासी _____ जिला _____ राज्य _____

सिंडिकेटबैंक, मणिपाल के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा श्री/श्रीमती _____

निवासी _____ जिला _____ राज्य _____ को, अथवा इनके न होने पर,

श्री/श्रीमती _____ निवासी _____ जिला _____ राज्य _____ को

सिंडिकेटबैंक के शेयरधारकों की सिंडिकेटबैंक के स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल में दि. 16 मार्च, 2018 प्रातः 10.00 बजे होनेवाली असाधारण आम बैठक और उसके बाद स्थगित अन्य किसी बैठक में मुझे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से वोट देने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं।

वर्ष 2018 के _____ माह के _____ दिन को हस्ताक्षरित

कृपया ₹1/-
का राजस्व
टिकट लगाएं

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

प्रथम नामित/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुतीकरण हेतु अनुदेश

- प्रॉक्सी लिखत तभी वैध होगा जब
 - ए) व्यक्तिगत शेयरधारक सदस्य के मामले में वह उसके द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् उसके/उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
 - बी) संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक सदस्य द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके/उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
 - सी) किसी कंपनी निकाय के मामले में वह उसके अधिकारी द्वारा अथवा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
- प्रॉक्सी लिखत पर शेयरधारक सदस्य के विधिवत् हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि शेयरधारक सदस्य किसी कारणवश अपना नाम लिखने में असमर्थ है और अगर वह उस पर अंगूठा निशान अंकित करता है तो जज, मजिस्ट्रेट या आश्वासनों का रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या सिंडिकेटबैंक के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
- प्रॉक्सी के साथ
 - ए) मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत उस पर हस्ताक्षर किए गए या
 - बी) नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार की प्रति असाधारण आम बैठक की तारीख से चार दिन पहले अर्थात् 09 मार्च 2018, शुक्रवार को कार्य समय के दौरान या उससे पहले प्र.का. सिंडिकेटबैंक नैगम सूचना केंद्र, सिंडिकेटबैंक, प्रधान कार्यालय, मणिपाल - 576 104 में जमा किए जाने चाहिए।
- कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक उस पर विधिवत् राजस्व टिकट लगा न हो।
 - ए) बैंक में जमा की गई प्रॉक्सी लिखत अंतिम तथा अप्रतिसंहरणीय होगी।
 - बी) यदि प्रॉक्सी लिखत वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के लिए हों तो एक से अधिक फार्म निष्पादित न किए जाएं।
 - सी) जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी लिखत निष्पादित की है, वह उस लिखत से संबंधित असाधारण आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा जिससे वह लिखत संबंधित हो।
 - डी) सिंडिकेटबैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।



Head Office : Manipal

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio

(If not dematerialised)

DP ID & Client ID

(If dematerialised)

I/We _____ resident(s) of _____ in the district of _____ in the State of _____ being a shareholder/shareholder(s) of SyndicateBank, Manipal, hereby appoint Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ **OR** failing him/her, Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of SyndicateBank to be held on 16th March, 2018 at 10.00 a.m. at SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2018.

Please
Affix
₹ 1/-
Revenue
Stamp

Signature of Proxy

Signature of First named/Sole Shareholder

Name :

Address:

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless
 - in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorized in writing.
 - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorized in writing.
 - in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorized in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by the shareholder. If for any reason he/she is unable to sign, then his / her mark shall be affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of SyndicateBank.
- The proxy together with
 - the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of SyndicateBank with Corporate Information Centre, Manipal – 576 104 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e., on or before the closing hours of Friday, the 09th March, 2018.
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
 - An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
 - In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
 - The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
 - No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of SyndicateBank.

